# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या** : **20/2015**

GCMS NO. : 2015/00069

| –: प्रार्थीगण :– | बनाम | –: अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1. मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड निम्बोल तहसील जैतारण जरिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर भरतभाई मेहता पुत्र अनन्तराय मेहता जाति मेहता निवासी एस.वी.सी.पी.एल निम्बोल तहसील जैतारण। | | 1. जसवंतसिंह पुत्र गंगासिंह<br>2. दशरथसिंह पुत्र अनोपसिह<br>3. रिछपालसिंह पुत्र अनोपसिह<br>4. मानसिह पुत्र अनोपसिह<br>5. विक्रमसिंह पुत्र अनोपसिह<br>6. कुलदीपसिंह पुत्र अनोपसिह<br>7. भंवरकंवर पुत्री अनोपसिह<br>8. लक्ष्मीकंवर पुत्री अनोपसिह<br>9. श्यामकंवर पुत्री अनोपसिह<br>10. केशरकंवर पत्नी अनोपसिंह<br>11. गोरधनराम पुत्र अन्नाराम जाट निवासी निम्बोल तहसील जैतारण।<br>12. मैसर्स ब्रिज एण्ड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड निम्बोल जरिए लक्ष्मणभाई मोहनभाई सोजितरा हाल निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली।<br>13. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**तारीख रजूः. 25/02/2015**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 21/06/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा हक सुदा भूमि राजस्व मौजा डूंगरनगर, पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91–05 बीघा आई हुई है ... एवं पंजीबद्ध बेचाननामा इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी की ... खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 109 बीघा 05 बिस्वा आई हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर अलग अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण (पाली)
जैतारण, जिला-पाली

स्थित है एवं राजस्व रेकर्ड में भी भूमि का अलग से बंटवाड़ा होकर अलग अलग ही तरमीम की हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि अलग अलग होने के बावाजूद भी अप्रार्थी संख्या एक से बारह भूमि के नाप चौप एवं सीमा को लेकर के आये दिन मौके पर विवाद कर रहे है तथा पूर्व से मौके पर स्थापित सीमा चिन्हों को भी अप्रार्थीगण ने खुर्द बुर्द कर दिया है। इस बाबत प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि– वह इस सीमा विवाद एवं नाप को लेकर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करें एवं आपसी सहमति से सम्पूर्ण भूमि का नाप चौप करवाकर माफिक नाप के मौके पर आपसी सहमति से ही पत्थरगढी करवा लेवे परन्तु अप्रार्थीगण उसमें नहीं मान रहे है। एवं दिनांक 28.12.2014 को अप्रार्थीगण ने मौके पर नाप करने एवं माफिक नाप के पत्थरगढी करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है। इस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या तेरह तहसीलदार जैतारण से भी नाप चौप करने बाबत कई बार निवेदन किया तो उन्होने भी ऐसा करने से इन्कार करते हुए कथन किया कि इसके बाबत उपखण्ड अधिकारी महोदय जैतारण से आदेश करावे तब ही हम इस बाबत मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढी करवायेगें, तब ऐसी परिस्थितियों में अदालत श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही पेश करने के अलावा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. अन्य कोई विकल्प शेष नही रह जाने से यह प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि अदालत हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में ही स्थित है तथा नियमानुसार न्याय शुल्क भी इस प्रार्थना पत्र के साथ सादर पेश किया जा रहा है एंव अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आपसी सहमति से नाप चौप करने से दिनांक 28.12.2014 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर देने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः कार्यवाही/प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के आप श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि राजस्व मौजा डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91–05 बीघा एवं अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 761 रकबा 109–05 बीघा के बीच नाप चौप कर सीमाज्ञान करवाया जावें एवं मौके पर प्रार्थी की भूमि का बाद नाप चौप के सीमांकन अनुसार मौके पर पत्थरगढी व नेखमंबंदी करवाई जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 13 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 के द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि कार्यवाही के पद संख्या 1 का जबाब है कि राजस्व मौजा डूंगरनगर पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91 बीघा 05 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में एक राजस्व वादपत्र संख्या 23/2001 पूर्व मे अनवान अणचावकवर बनाम विशनसिंह वगैरा एवं वर्तमान वादपत्र अनवान समन्दरकंबर बनाम विशनसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

वगैरा घोषणा इत्यादि का माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसकी सुनवाई की तारीख पेशी 16/02/2021 को नियत है। उक्त राजस्व वादपत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी ने विवादित जमीन कय की इसलिए धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत लीसपेन्डेन्ट के सिद्धान्त से प्रार्थी के कोई भी खातेदारी अधिकार विवादित कृषि भूमि में निहित नही है तथा मूल खसरा संख्या 761 रकबा 200 बीघा 10 बिस्वा आज दिन तक अविभाजित है तथा जबाब देहन्दागण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं प्रार्थी से उक्त राजस्व वादपत्र के विचाराधीन रहते उक्त अविभाजित कृषि भूमि कय की है परन्तु मौके पर आज तक कब्जा प्रार्थी का नहीं है। कार्यवाही के पद संख्या 2 का जवाब है कि खसरा संख्या 761/1 व 761 की कृषि भूमि मौके पर अलग अलग बेटी हुई नहीं है। क्योकि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध से पूर्व से ही एक राजस्व वादपत्र संख्या 23/2002 विचाराधीन है और उक्त कृषि भूमि का मौक पर बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के आज तक कोई कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है। इसलिए उक्त दोनो खसरा नम्बरान की भूमि का मौके पर बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कोई कानूनी बंटवाडा नहीं होने से तथा उक्त वादपत्र विचाराधीन रहने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही कानूनन पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर काबिल खारिज के है। कार्यवाही के पद संख्या 3 का जवाब है कि उक्त दोनों खसरा नम्बरान क़ी कृषि भूमि मौके पर अलग अलग बंटी हुई नहीं है सम्पूर्ण भूमि एक चक में स्थित है जिस पर जवाब देहन्दागण अपने पूर्वजों के समय से लेकर आज दिन तक शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के काबिज है और प्रार्थी का कभी कोई कब्जा काश्त मौके पर नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी व जबाब देहन्दागण के मध्य नापचीप व सीमा का कोई विवाद नहीं है। जब मौके पर उक्त दोनो खसरान की भूमि एक चक में स्थित है और जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तो मौके पर सीमाचिन्ह होना अपने आपमे असत्य कथन है। उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान की कृषि भूमि बाबत जब प्रोपर रेमडी हेतू इन्ही पक्षकारानु एवं अन्य पक्षकारान् के मध्य सक्षम बाद पूर्व से ही विचाराधीन है और उक्त वादपत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी ने उक्त भूमि क्रय की है जिस कारण धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम में प्रतिपादित सिद्धान्त लिसपेन्डेन्ट के आधार से प्रार्थी के कोई हक अधिकार उक्त विवादित भूमि में निहित नहीं है और मौके पर प्रार्थी ने कभी कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया तो ऐसी कानूनी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है और पूर्ववर्ती वाद विचाराधीन रहते उक्त कार्यवाही के तहत प्रार्थी किसी भी प्रकार से नापचौप करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं है। इसलिए इस आधार से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही खारिज के है। इस पद में व[illegible]न्य तमाम तथ्य प्रार्थी ने झूठे मनगढन्त एवं आधारहीन उल्ले[illegible] देहन्दागण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते है। कार्यवा[illegible] 4 जबाब है कि दिनांक 28/12/2014 या अन्य किसी भी दिनांक [illegible] प्रार्थी मौके पर उपस्थित ही नहीं हुआ क्योकि प्रार्थी का आज तक मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है और उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

दोनो खसरा नम्बरान् की भूमि एक ही चक में स्थित है, जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस के कानूनी तौर से बंटवाडा नहीं हो रखा है। इसलिए प्रार्थी द्वारा इस पद मे यह कथन उल्लेख करना कि अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आपसी सहमति से नापचौप करने से दिनांक 28/12/2014 को स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया कतई गलत द नामंजूर है। इसलिए इस आधार से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही कानूनन पोषणीय नहीं होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमावे।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम डुंगरनगर के खसरा संख्या 761/1 रकबा 91–05 बीघा प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसके दक्षिण में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 761 रकबा 109–05 बीघा आई हुई है। जो मौके पर अलग अलग स्थित है तथा रेकर्ड पर अलग से तरमीम है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजी के बीच स्थित सीमाचिह्नो को खुर्द बुर्द कर दिया तथा सीमा विवाद करते है तथा सीमाज्ञान करवाने के लिए सहमत नही है अतः वादग्रस्त आराजी का मौके पर माप करवाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी एवं नेखमबंदी करवाई जावे।

2. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वादपत्र संख्या 23/2001 समन्दरकंवर बनाम विशनसिंह वगैरह बाबत् घोषणा इत्यादि का माननीय न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके विचाराधीन रहते प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी क्रय की है, सम्पूर्ण भूमि का मूल खसरा संख्या 761 रकबा 200–10 बीघा है तथा जवाब देहन्दा मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई अविभाजित कृषि भूमि है जिसका आंदिनांक तक कब्जा प्राप्त नही किया है न ही वादग्रस्त आराजी मौके पर बंटी हुई है। तथा न्यायालय हाजा में विचाराधीन घोषणा बाबत् वादपत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी हस्तगत प्रार्थना पत्र में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

3. ग्राम डुंगरनगर तहसील जैतारण के वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 761/1 रकबा 14.7710 हेक्टर औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्बोल के नाम दर्ज है। वही खसरा संख्या 761 रकबा 1[illegible] हैक्टर [illegible] अव्वल भूमि अप्रार्थीगण की अविभाजित खातेदारी भूमि है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट [illegible] कि वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 761 है तथा वादग्रस्त आराजी [illegible] संबंध में वर्तमान में न्यायालय हाजा में खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् वादपत्र संख्या 23/2001 जैरकार है जिसमें उभयपक्ष पक्षकारान् है। इस प्रकार मूल वादपत्र के समानान्तर हस्तगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रार्थना पत्र जो कि संक्षिप्त कार्यवाही तक सीमित होता है के द्वारा किसी प्रकार का आदेश जारी कर अन्तर्निहित समस्त विवादो का समाधान नही किया जा सकता। भू अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड निम्बोल संयोजित है जबकि खसरा संख्या 761/1 के भू अभिलेख में खातेदार के रूप में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्बोल दर्ज है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में हस्तगत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित नही होगा। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

## –:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:59 IST
Reason: SelfAttested